न्यायालय सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 223/19

वादीनीगण		प्रतिवादीगण
1 नेनू पुत्री वीरमाराम पत्नी मोटाराम 2 हेमी पुत्री वीरमाराम पत्नी रेखाराम जाति जाट निवासी चवा (खारीया कुआ) तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 चेतनराम पुत्र मुकनाराम 2 स्व. खेताराम पुत्र मुकनाराम के कायम मुकाम 2/1 भैराराम पुत्र खेताराम 2/2 हेमी पत्नी खेताराम 3 जेठाराम पुत्र मुकनाराम 4 स्व. खीयाराम पुत्र वीरमाराम जाति जाट निवासी चवा (खारीया कुआ) तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री नृसिंह सोलंकी वकील वादीगण।
2. श्री चैनाराम वकील प्रतिवादीगण।

निर्णय

दिनांक 19/02/21

संक्षिप्त में वादीनीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीनीगण तथा प्रतिवादी संख्या 04 स्व. खीयाराम सगे भाई–बहिन है, स्व. वीरमाराम की संतानें है तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 03 वादीनीगण के सगे चचेरे भाई है, जो स्व. मुकनाराम के पुत्र है। वादीनीगण तथा प्रतिवादी संख्या 04 के पिता वीरमाराम के पुत्र–पुत्रियां है। वादीनीगण के पिता वीरमाराम एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पिता मुकनाराम सगे भाई थे, जिनकी पैतृक खातेदारी के खेत व आवासीय ढाणियां क्रमशः खसरा नम्बर 643 एवं 648 व गैर मुमकीन खसरा नम्बर 640, 641 तथा 642 समस्त संयुक्त रकबा 256.03 बीघा ग्राम चवा (खारीया कुआ) तहसील व जिला बाडमेर में आया हुआ है। दोनों भाईयों मुकनाराम व वीरमाराम का इस आराजी में बराबर का खातेदारी हिस्सा था व संयुक्त कब्जा काश्त था।

भू–प्रबन्ध के समय उपरोक्त समस्त आराजी का पर्चा लगान अकेले मुकनाराम के नाम से जारी हो गया और इसका ज्ञान वादीनीगण के पिता वीरमाराम को होने पर उन्होने अपना हिस्सा अपने भाई मुकनाराम के साथ घोषित कराने का एक वाद न्यायालय में दायर कर अपने भाई मुकनाराम के विरूद्ध 1/2 हिस्से की डिक्री प्राप्त की और इस प्रकार वादग्रस्त आराजी के मुकनाराम हिस्सा 1/2 व वीरमाराम हिस्सा 1/2 के रेकर्डेड खातेदार हो गये। वादीनीगण के पिता वीरमाराम के देहान्त सन् 1978 में ... उसके देहान्त के समय उसके प्रथम वर्ग के तीन वारीसान की पुत्रियां ... प्रतिवादी संख्या 04 होने के उपरान्त भी पटवारी हल्का चवा ... विरासतन का नामान्तकरण अकेले, मृतक के पुत्र प्रतिवादी संख्या 04 जो वादीनीगण का भाई था, अकेले ... खोल कर पंचायत से स्वीकृत करा दिया और इस प्रकार स्व. वीरमाराम के हिस्सा 1/2 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2022.03.02 12:31:04 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी का अंकन के रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 04 खीयाराम अकेले के नाम का हो गया, जिसका वादीनीगण के कोई ज्ञान नही हो पाया परन्तु वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से पर वादीनीगण अपने भाई प्रतिवादी संख्या 04 के साथ काबिज होकर काश्त करती आ रही थी।

इस दौरान प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पिता मुकनाराम के विरूद्ध इसी आराजी के हिस्सा 1/2, जो वादीनीगण के भाई प्रतिवादी संख्या 04 खीयाराम के नाम दर्ज थी, बाबत् एक वाद संख्या 34/1985 अनवान मुकनाराम बनाम खीयाराम व अन्य इस प्रकार का प्रस्तुत किया कि इस आराजी के हिस्सा 1/2 का सहखातेदार उसका भाई वीरमाराम निसंतान कुंवारा था, उसका वारीस एक मात्र वही (मुकनाराम) ही है। अतः खातेदारी रेकर्ड से खीयाराम का नाम हटा कर स्व. वीरमाराम का हिस्सा 1/2 उसके अर्थात मृतक के भाई मुकनाराम के नाम का घोषित किया जाये, यह वाद दिनांक 08.04.1990 को एक पक्षीय मुकनाराम के पक्ष में डिक्री हुआ तथा समूची आराजी प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पिता मुकनाराम के नाम दर्ज हो गई तथा मुकनाराम का देहान्त सन् 1987 में हो जाने के पश्चात यह आराजी उसके पुत्रों प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के नाम से रेकर्ड में दर्ज हो गई। प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के नाम यह भूमि दर्ज हो जाने के पश्चात उन्होने वादीनीगण के कब्जा काश्त में बाधा पैदा कर बताया कि उन्होने सम्पूर्ण आराजी की खातेदारी प्राप्त कर ली है। अतः अब इन खेतों में वादीनीगण प्रवेश न करे। इस वादग्रस्त आराजी में वादीगण का खातेदारी हिस्सा 2/6 है तथा हिस्सा 1/6 वादीनीगण के भाई प्रतिवादी संख्या 04 का है तथा इसी प्रकार हिस्सा की घोषण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रतिवादी संख्या 01 से 03 ने जवाब दावा पेश कर वादीनी के वाद को अस्वीकार किया व वक्त भू-बन्दोबस्त से से आज दिन तक इस आराजी पर काश्त व कब्जा अपना ही होना बताया और यह भी उल्लेख किया कि वादीनीगण उनकी वंशावली में नही आती और न ही वादीनीगण को पहचानते है तथा उनका गांव चवा में होने का कोई दस्तावेज सबूत है और न वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त है। दावा व जवाब दावा के आ[illegible] निम्न निर्णायक बिन्दु बनाये गये :-

1. क्या वादी[illegible] 04 [illegible]राम पुत्र मेघाराम जाति जाट निवासी चवा के पुत्र-पु[illegible] है।

वादीनी

2. क्या खेत खसरा संख्या 643, 648, 640, 641 व 642 के सम्बन्ध में वादीनीगण के मृत पिता वीरताराम ने प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2022.03.02 12:31:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(पदस्थ न्या.) बाड़मेर

पिता मुकनाराम के विरूद्ध निस्फ भाग खातेदारी का घोषित करवाने हेतु वाद पेश किया था, जो वीरगाराम के पक्ष में निर्णित हुआ।

वादीनी

3. क्या वादग्रस्त खेतों में वादीनीगण का उनके पिता वीरगाराम के मरणोपरान्त ~~सब~~ शामलात प्रतिवादी संख्या 04 खीयाराम के साथ कब्जा काश्त खातेदार कृषक के रूप में भी होने पर प्रतिवादी संख्या 04 ने मृत वीरगाराम को हिस्सा का नामान्तकरण अपने नाम से करवाया।

वादीनी

4. क्या मृत मुकनाराम के पक्ष में राजस्व वाद क्रमांक 34/1985 का निर्णय दिनांक 08.01.1990 को एक पक्षीय हुआ जो अपास्त करने योग्य है।

वादीनी

5. क्या वादीगण वादग्रस्त खेतों में 1/6 भाग वादी संख्या 01, 1/6 भाग वादी संख्या 02 एवं प्रतिवादी संख्या 04 का 1/6 भाग घोषित करवाने की अधिकारिणी है।

वादीनी

6. क्या वादीगण माफिक दावा स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

वादीनी

वादपत्र के पक्ष में वादीनी नैनू पीडब्लू–1 स्वतंत्र गवाह सोभाराम पीडब्लू–2 तथा राजूराम पीब्डलू–3 पेश हुए व दस्तावेजी सबूत में पूर्व निर्णित वाद संख्या 34/1985 अनवान मुकनाराम बनाम खीयाराम के निर्णय दिनांक 08.01.1990 व डिक्री पर्चा की नकले वादीनीगण के माता–पिता का संयुक्त फोटो तथा वादग्रस्त आराजी की संवत् 2043 से 2046 के खाता संख्या 20 जो खातेदार मुकना ~~वल्द~~ मेघा हिस्सा 1/2 खीयाराम पुत्र वीरमाराम हिस्सा 1/2 कौम जाट सा. देह के नाम से है की नकल पेश हुई। प्रतिवादीगण की और से साक्ष्य में खेताराम [पेश हुए।] प्रतिवादी संख्या 02 एवं स्वतंत्र [illegible] के सिवाय अन्य कोई दस्तावेजी सबूत पेश हुए तथा दोनों पक्षों की बाद [illegible] वादीनीगण का वाद दिनांक 24.11.2001को सहायक कलक्टर मुख्यालय [illegible] वादीनीगण के पक्ष में डिक्री पारित की।

विद्वान सहायक कलक्टर मुख्यालय बाडमेर के निर्णय दिनांक 24.11.2001 के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से 03 ने प्रथम अपील श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर के न्यायालय में प्रस्तुत की जो संख्या 49/2002 पर अनवान

C.A
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2022.03.02 12:31:04 IST
Reason: SelfAttested

चैनाराम व अन्य बनाम श्रीमती नैनू व अन्य से दर्ज होकर दिनांक 19.08.2003 को निर्णित होकर आंशिक रूप से स्वीकार होकर इस निर्देश के साथ इस न्यायालय को प्राप्त हुई कि पक्षकारानको समुचित सुनवाई का अवसर देकर निर्णायक बिन्दुवार अपना निर्णय पारित करें।

रिमाण्ड प्रकरण दर्ज कर पक्षकारान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया। वादीगण ने अन्य कोई गवाह पेश नही किया प्रतिवादी ने एक स्वंतत्र गवाह अगराराम को पेश किया जिसके बयान रेकर्ड पर लिये गये। प्रतिवादी संख्या 02 व 04 के फौत होने की सूचना पेश हुई । प्रतिवादी संख्या 02 के वारिसान का वकालतनामा पेश हुआ तथा प्रतिवादी संख्या 04 के लिये बताया गया कि वह निसंतान फौत हो गया है। उसके वारिसान् उसकी दो सगी बहने (वादीनीगण) ही है, जो पहले से ही रेकर्ड पर है तथा उसका हिस्सा उसकी बहने प्राप्त करेगी। संशोधित टाईटल पेश हुआ जो रेकर्ड पर लिया गया। दोनों पक्षों ने लिखित बहस पेश की। वादीनीगण के वकील ने अपनी लिखित बहस के साथ प्रकरण से सम्बन्धित दस्तावेज जो सरकारी रेकर्ड की प्रतिये है, पेश की, जो सामिल पत्रावली की गई। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवनलोकन किया। तनकीवार स्थिति निम्नानुसार है:–

निर्णयक बिन्दु संख्या 01 :–

बिन्दु संख्या 01 को साबित करने का भार वादीनीगण पर है। साक्षी में पेश वादीनी नेनू व उसके दोनों गवाहन जो अपने आपको वादग्रस्त आराजी के सेढा पड़ौसी बताते है, के बयानों से यह साबित है कि वादीनीगण के पिता वीरमाराम तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के पिता मुकनाराम सगे भाई थे। पत्रावली में प्रस्तुत फोटों को वीरमाराम व उसकी पत्नी गंगा का फोटो होना बताया तथा वादीनीगण को उक्त वीरमा की पुत्रियों तथा प्रतिवादी संख्या 04 को वीरमाराम का पुत्र होना बताया जबकि प्रतिवादी खेताराम व उसके गवाह वीरमाराम के अस्तित्व को स्वीकार ही नही कर रहे है। वीरमाराम के देहान्त के बाद उसकी विरासत का नामान्तकरण संख्या 423 उसके पुत्र प्रतिवादी संख्या 04 खीयाराम के नाम से ग्राम पं[illegible]कि प्रतिवादी व उसके गवाह उक्त वीरमाराम व उसकी सन्तान के [illegible] में [illegible] अनभिज्ञता प्रकट करते है। ऐसी स्थिति निर्णायक बिन्दु संख्या 01 वादी[illegible] के पक्ष में साबित होने से उनके पक्ष में निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2022.03.02 12:31:04 IST
Reason: SelfAttested

निर्णयक बिन्दु संख्या 02 :–

बहस लिखित के साथ प्रस्तुत निर्णित वाद संख्या 17 / 1972 अनवान वीरमाराम बनाम मेगा निर्णिय दिनांक 25.06.1973 के निर्णय व डिक्री पर्चा की नकल से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के निस्फ हिस्से की खातेदारी घोषित

करवाने हेतु वादीनी के पिता वीरमा ने प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पिता मुकनाराम के विरूद्ध वाद पेश किया था जो वीरमाराम के पक्ष में निर्णित हुआ। अतः निर्णायक बिन्दु संख्या 02 वादीनीगण के पक्ष में भली प्रकार साबित है।

निर्णयक बिन्दु संख्या 03 :–

कि निर्णायक बिन्दु संख्या 03 पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड से ही साबित है कि वादीनीगण के पिता वीरमाराम वादग्रस्त आराजी के हिस्सा 1/2 का खातेदार था, उसके देहान्त के समय उसके वारिसान में दो पुत्रिया व एक पुत्र होना साबित है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के अनुसार तीनों प्रथम वर्ग के वारिस है। पुत्रियों का अपने पिता के परिवार में रहने के समय पिता के साथ काश्त का काम करना स्वाभाविक है, परन्तु नामान्तकरण संख्या 423 की नकल व खतौती की संवत् 2043 से 2046 के खाता संख्या 20 प्रदर्श–4 की नकल से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 04 खीयाराम ने अपने पिता वीरमाराम के फौत होने पर विरासतन का नामान्तकरण अपनी बहनों के अधिकारों की अनदेखी कर अपने स्वयं के नाम खुलवाया है। अतः यह बिन्दु वादीनीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

निर्णयक बिन्दु संख्या 04 :–

बिन्दु संख्या 04 वादीनी के जिम्मे है। पूर्व निर्णित वाद संख्या 34/1985 अनवान मुकनाराम बनाम खीयाराम इसी वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित है और उसमे वादीनीगण हितबद्ध होने पर भी उन्हे इस वाद संख्या 34/1985 में पक्षकार नही बनाया गया था तथा उक्त वाद के निर्णय से सम्पूर्ण वादग्रस्त हिस्सा 1/2 मुकनाराम के पक्ष में चला गया, जिसका वादीनीगण को कोई ज्ञान नही था। ऐसी अवस्था में वाद संख्या 34/1985 में पारित निर्णय डिक्री हिस्सा 1/3 वादीनीगण के लिये शून्य एवं प्रभावहीन है और ऐसी स्थिति परिस्थिति में यह बिन्दु संख्या 04 वादीनीगण के हित श्री सीमा तक सबित है।

निर्णयक बिन्दु संख्या 05 :–

बिन्दु संख्या 05 को साबित करने का भार वादीनीगण पर है। वादग्रस्त आराजी में वीरमाराम हिस्सा 1/2 का सह खातेदार था। उसके देहान्त के समय उसके तीन वारिसान दो पुत्रिया व एक पुत्र था। अतः हिन्दू उतराधिकार विधि अनुसार वादीनी संख्या 01 का 1/6 हिस्सा, वादीनी संख्या 02 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 04 का भी 1/6 हिस्सा हुआ।

परन्तु वारिसान की स्थिति में परिवर्तन हो गया है। प्रतिवादी संख्या 04 खीयाराम पुत्र वीरमाराम को लाऔलाद देहान्त हो गया है। अपनी दोनों बहनों के अलावा अन्य कोई विधिक वारिस नही है। अतः अब इस वादग्रस्त हिस्सा 1/2 में वादीनी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा वादीनी संख्या 02 का 1/4 हिस्सा अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2022.03.02 12:31:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

खातेदारी में घोषित कराने की अधिकारिणी है। अतः बिन्दु संख्या 05 वादीनीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

निर्णयक बिन्दु संख्या 06 :–

कि उपर्युक्त निर्णायक बिन्दुवार विवेचन से वादीनीगण का दावा भंली प्रकार साबित है तथा ऐसी स्थिति में वादीनीगण माफिक दावा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने की अधिकारिणी है। अतः बिन्दु संख्या 06 वादीनीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

चूंकि समस्त निर्णायक बिन्दु वादीनीगण के पक्ष में साबित है। अतः दावा वादीनीगण प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेजी सबूत के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम खारीया कुआ (चवा) तहसील व जिला बाडमेर में स्थित खसरा संख्या 643 रकबा 201.00 बीघा, खसरा संख्या 648 रकबा 52.14 बीघा, खसरा संख्या 640 रकबा 01.04 बीघा गैर मुमकीन टांका, खसरा संख्या 641 रकबा 01.01 बीघा गैर मुमकीन ढाणी व खसरा संख्या 642 रकबा 0.04 बीघा समस्त रकबा 256.03 बीघा में वादीनीगण को हिस्सा 1/2 का सह खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

(रोहित चौहान)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 19/02/21 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2022.03.02 12:31:04 IST
Reason: SelfAttested

D:\LJ\Lalit Ji Joshi\RTA 88\ORDER 88.docx